

प्रथम अनुसूची

[धारा २ (एक) देखिये]

निरसित अधिनियमितियां

१. यूनिवर्सिटी आफ सागर एक्ट, १९४६ (क्रमांक १६ सन् १९४६)
२. मध्य भारत विक्रम विश्वविद्यालय विधान, १९५५ (क्रमांक १८ सन् १९५५).
३. जबलपुर यूनिवर्सिटी एक्ट, १९५६ (क्रमांक २० सन् १९५६).
४. रविशंकर यूनिवर्सिटी एक्ट, १९६३ (क्रमांक १३ सन् १९६३).
५. इन्दौर यूनिवर्सिटी एक्ट, १९६३ (क्रमांक १४ सन् १९६३).
६. जिवाजी यूनिवर्सिटी एक्ट, १९६३ (क्रमांक १५ सन् १९६३).
७. अवधेश प्रतापसिंह विश्वविद्यालय अधिनियम, १९६८ (क्रमांक २२ सन् १९६८).
८. भोपाल विश्वविद्यालय अधिनियम, १९७० (क्रमांक २८ सन्, १९७०).

द्वितीय अनुसूची

[धारा २ (दो) देखिये]

विश्वविद्यालय का नाम	मुख्यालय	प्रादेशिक अधि कारिता
(१)	(२)	(३)
सागर विश्वविद्यालय	सागर	वे क्षेत्र जो राजस्व जिला वालाघाट, छिदवाड़ा, सागर, नरसिंहपुर, सिवनी, दमोह, मंडला, पूर्वी-निमाड़, वैतूल तथा होशंगाबाद की सीमाओं के भीतर समाविष्ट हैं।
विक्रम विश्वविद्यालय	उज्जैन	वे क्षेत्र जो राजस्व जिला रतलाम, उज्जैन, मन्दसौर, देवास, धार, झाबुआ, पश्चिमी-निमाड़, [सीहोर, रायसेन, विदिशा,] राजगढ़ तथा शाजापुर की सीमाओं के भीतर समाविष्ट हैं।
जबलपुर विश्वविद्यालय	जबलपुर	वे क्षेत्र जो राजस्व जिला जबलपुर की सीमाओं के भीतर समाविष्ट हैं।
रविशंकर विश्वविद्यालय	रायपुर	वे क्षेत्र जो राजस्व जिला रायपुर, दुर्ग, बस्तर, बिलासपुर, रायगढ़ तथा सरगुजा की सीमाओं के भीतर समाविष्ट हैं।
इन्दौर विश्वविद्यालय	इन्दौर	वे क्षेत्र जो राजस्व जिला इन्दौर की सीमाओं के भीतर समाविष्ट हैं।
जिवाजी विश्वविद्यालय	ग्वालियर	वे क्षेत्र जो राजस्व जिला ग्वालियर, भिन्ड, मुरैना, शिवपुरी, गुना तथा दतिया की सीमाओं के भीतर समाविष्ट हैं।
श्रवधेश प्रतापसिंह विश्वविद्यालय	रीवा	वे क्षेत्र जो राजस्व जिला रीवा, रघुना, सीधी, शहडोल, छतरपुर, पन्ना, तथा टीकमगढ़ की सीमाओं के भीतर समाविष्ट हैं।
<u>भोपाल विश्वविद्यालय</u>	<u>भोपाल</u>	<u>वे क्षेत्र जो राजस्व जिला सीहोर, रायसेन तथा विदिशा की सीमाओं के भीतर समाविष्ट हैं।</u>